



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1947 (श10)
(सं० पटना 1583) पटना, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025

सं० पर्य०वि०(विविध)-15/2025/2903—प०वि०
पर्यटन विभाग

संकल्प

4 अक्टूबर 2025

विषय:— कतिपय शतों के अधीन पटना जिला के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की मौजा—मोकामा खास, थाना सं०—30 की 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिस्मिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

बिहार पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्राचीन केन्द्र रहा है। राज्य में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा देश—विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चालू की गयी हैं। पटना जिला का मोकामा शहर गंगा नदी के किनारे तीन प्राचीन जनपदों अंग, मगध और मिथिला के संगम स्थल पर अवस्थित है और नदी के उस पार अवस्थित सिमरिया घाट पर नियमित अंतराल पर लगने वाले अर्ध कुंभ मेले का प्रवेश द्वार है। इस प्रकार यह शहर सदियों से पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है।

2. इस शहर से होकर दिल्ली हावड़ा मेन लाईन तथा उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली रेलवे गुजरती है और सड़क सम्पर्कता के दृष्टिकोण से भी यह कई राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। गंगा नदी पर संचालित विभिन्न व्यापारिक एवं यात्री जलमार्ग का भी यह महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पर होने वाले विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3. उक्त संबंध में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति, आंध्र प्रदेश द्वारा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उक्त संस्था द्वारा राज्य की राजधानी के आस—पास लगभग 10 (दस) एकड़ की भूमि के निःशुल्क आवंटन का अनुरोध किया गया है ताकि उक्त भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल का निर्माण एवं प्रबंधन उनके द्वारा किया जा सके। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति, आंध्र प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरकारी ट्रस्ट है। इसके द्वारा न केवल तिरुपति स्थित प्राचीन पवित्र देवस्थानों का प्रबंधन किया जाता है बल्कि कई महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियाँ भी संचालित की जाती हैं। इस संस्थान द्वारा विभिन्न राज्यों यथा—दिल्ली, जम्मू—कश्मीर, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और हरियाणा में देवस्थान निर्माण के साथ वेदपाठशाला, वैदिक विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्थान, निर्धन

लोगों, वृद्ध व्यक्तियों और कुष्ठ पीड़ितों के लिए आश्रय स्थलों के निर्माण का कार्य किया गया है। साथ ही दिव्यांगों और हृदय रोग से ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष चिकित्सकीय व्यवस्था भी की गई है।

4. उक्त आलोक में समाहर्ता, पटना से उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन की माँग की गई। समाहर्ता, पटना के पत्रांक 5195/रा0, दिनांक 25.09.2025 द्वारा मोकामा अंचल के मोकामा शहर में मौजा-मोकामा खास, थाना सं0-30 की 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिस्मिल) भूमि, जो पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

5. निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का वहन उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। निर्माण के उपरान्त उक्त स्थल का प्रबंधन भी उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। उक्त भूमि पर समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाओं के विकास से न केवल आस-पास के क्षेत्र का विकास होगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस स्थल के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) कर 1 रुपये के टोकन शुल्क पर लीज के माध्यम से 99 वर्ष के लिए उक्त भूमि हस्तान्तरित की जा सकेगी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया जायेगा।

6. उपरोक्त शर्तों के अधीन पटना जिला के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की मौजा-मोकामा खास, थाना सं0-30 की 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिस्मिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.10.2025 को सम्पन्न बैठक में मद् संख्या-98 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1583-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>